ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना :-

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत बैरागढ़ में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती भिल्खू	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री हिम्मत सिंह	01-04-2022 से 18-06-2023
2.	श्री भाग सिंह	19-06-2023 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	पैरा स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
01.	8.2	बिना M (XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकारी राजकोष को रॉयल्टी के तौर पर राजस्व की भारी वितीय हानि बारे।	0.69

02.	8.3	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि	0.73
03.	8.4	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	0.39
04.	8.5	कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाये गए निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/ कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।	46.19
05.	9.1	मनरेगा अनुदान के व्यय/भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।	15.23
06.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय बारे।	5.47
07.	9.3	अनुमोदित फर्मों से क्रय न करने के कारण सम्भावित अधिक भुगतान बारे।	0.19
08.	9.4	मनरेगा अनुदान के निर्माण कार्यों में राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन बारे।	1.30

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03-06-2024 से 12-06-2024 तक ग्राम पंचायत बैरागढ़ के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	10/2022	01/2023
2.	2023-2024	11/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने

की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 12-06-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बैरागढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 (अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान:- ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत (3RD/5TH State FC) :-

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	511407.12	381194.00	892601.12	320070.00	572531.12
2023-24	572531.12	273867.00	846398.12	491715.00	354683.12

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	2405892.00	6977164.00	9383056.00	8222237.00	1160819.00
2023-24	1160819.00	6465989.00	7626808.00	6805972.00	820836.00

नोट: उपरोक्त स्व:-स्त्रोत के अंतर्गत अन्य अनुदान जैसे 3rd/5th स्टेट का पंचायत द्वारा एक बैंक खाता व एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। (कृपया पूर्ण विवरण पैरा संख्या 10.3 पर देखें) जिससे कि; उक्त स्व:-स्त्रोत की वास्तविक राशि को पृथक तौर पर नहीं दर्शाया जा सकता है।

कुल योग (1+2) **₹354683.12 + ₹820836.00 = ₹1175519.12**

(ब) ग्राम पचांयत बैरागढ़, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण:-

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	17710113167	HPSCB Bhanjraru	**502222.00**
2.	14वां वित्तायोग	17710110561	HPSCB Bhanjraru	**00**
3.	MMAY	99241302402506	HPGB Bhanjraru	**50012.00**
4.	SABHA NIDHI /3rd/5TH SFC	17710103119	HPSCB Bhanjraru	**217433.12**
5.	VKVNY/BASP/VMJS/SBM/LADA etc.	99241302401090	HPGB Bhanjraru	**291464.00**
			Cash In hand	**0**
			TOTAL	**₹1061131.12**

अन्तर (अ - ब) ₹1175519.12 - ₹1061131.12 = ₹114388.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1.14 लाख का अन्तर:-

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बैरागढ़ द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹114388 का अन्तर बैंक पास बुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹8.20 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹820836 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.61 लाख की वसूली न करने बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹61000 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशि (₹)
2022-23	57600	360	40	14400	72000	600	71400
2023-24	71400	365	40	14600	86000	25000	61000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 12-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1050/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With Late Fee		Without LateFee	With Late F.		
2022-23	11	0	0	0	11@25	0	275	275
2023-24	17	02@200	0	400	15@25	0	375	775
कुल योग	**28**	**02@200**	**0**	**400**	**26@25**	**0**	**650**	**₹1050**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-11 दिनांक 12-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 मोबाईल टावरों की पूर्व अवधि की नवीनीकरण व अन्य शुल्क बकाया राशि ₹0.45 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच०(2)8/99 दिनांक 20-03-2017 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में मोबाईल टावर स्थापित करने के लिए राशि ₹10000/- आवेदन शुल्क (स्थापना शुल्क) व राशि ₹5000/- वार्षिक नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की गयी है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक निम्नविवरणानुसार सभी मोबाईल टावरों की वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के रूप में राशि ₹45000/- वसूली हेतु शेष थी।

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	टावरों की संख्या	नवीनीकरण शुल्क/प्रति टावर/वर्ष	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु बकाया
1.	2022-23	45000	01	0	0	45000	0	45000
2.	2023-24	45000	01	0	0	45000	0	45000

नोट : मोबाईल टावर फीस की उक्त बकाया राशि हि०प्र० सरकार की अधिसूचना 885 दिनांक 13-05-2022 के पूर्व की है तथा वर्तमान में उक्त अधिसूचना के अनुसार पंचायत की अपनी निजी भूमि पर कोई मोबाईल टावर नहीं है इसलिये मांग शुन्य दर्शायी गई है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 12-06-2024 के प्रत्युतर में सचिव, द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, बकाया राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी। उत्तर पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है। जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः पूर्व अवधि की मोबाईल टावर की बकाया राशि को शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की

दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से बिना M-(XY) फॉर्म के अनुचित क्रय करने से सरकार को रॉयल्टी के तौर पर राशि ₹0.69 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त तीसा विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 7018 दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा भी समस्त प्रधानों/सचिवों/सहायकों को रेत,बजरी तथा पत्थर की सम्बंधित ठेकेदारों से रॉयल्टी कटाने एवं सरकार को भेजने के लिए आदेशित किया गया था।

परन्तु ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिससे कि, न केवल अवैध खनन हुआ अपितु अनधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से क्रय करने के कारण सरकार को राशि ₹69095.36/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/04 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही M फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल

में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि M फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.73 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1523870/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹72565.24 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 10-06-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यद्यपि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.39 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार एवं वस्तु व सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 51(1) के अंतर्गत TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में सम्बन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संग्लन **परिशिष्ट 7 व 4** के अनुसार राशि ₹1954820/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर व GST अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹39096/- (2%) की वित्तीय हानि हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना, न केवल आयकर व GST अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल नमूना/चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की विभागीय स्तर पर जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं उक्त राशि व भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.5 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर राशि ₹46.19 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन एवं मापन पुस्तिका इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निम्न विवरणानुसार करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन माप पुस्तिका, प्रपत्र-34 उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या/अनुदान	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1.BASP	कार्य : दो कमरे GSSS बैरागढ़	800000	MB,UC, Estimate Work Order and Technical sanction order Form 13C
2.MGREGA	कार्य: फ्रूट प्लान्टेशन वार्ड 1-5	2470000	
3.MGREGA	कार्य: खेल का मैदान GPS देहग्रा	449000	do
4.MGREGA	कार्य : लैंड डेवलपमेंट वर्क मझहोगा	490000	do
5. MGREGA	कार्य: लैंड डेवलपमेंट वर्क सेरी	410000	do
	कुल योग	**₹4619000**	

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 10-06-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त अनियमितता के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त कार्यो के समस्त अभिलेख कनिष्ट अभियंता के पास विकास खण्ड कार्यालय में पड़े है यह पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उक्त वांछित अभिलेखों का पंचायत में न पाया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर एवं उक्त वांछित अभिलेखों सहित अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र प्रेषित किया जाये।

9.1 राशि ₹15.23 लाख के स्टोर/स्टॉक के व्यय भुगतानों में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के व्यय के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत संलग्न **परिशिष्ट "4"** के अनुसार राशि ₹1523870 का भुगतान रेत, बजरी व पत्थर के क्रय व ढुलान की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र है जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

उक्त व्ययों के सम्बन्ध में पाई गई विविध वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे :-

1. पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु अधिकृत विक्रेता GST/TIN पंजीकृत नहीं हैं एवं विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज पर अभिस्वीकृति सहित भुगतान हेतु दिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है । इस पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आबंटित की गई है। इस प्रकार के बिलों पर किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये।

2. पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के एवज में आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों को किये गए भुगतानों के FTOs (Fund transfer order) अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गये जिससे कि यह सुनिश्चित/सत्यापित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए वास्तव में उन्ही आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया है अथवा नहीं?

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा तथा मनरेगा अनुदान के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹5.47 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत बैरागढ़ द्वारा राशि ₹547025/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया । जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के सरकारी नियमों की अवहेलना भी की गई, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 10-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है एवं बिना कुटेशन के क्रय करना संदिग्ध प्रतीत होता है यह मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है।

अत: इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई समस्त खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा अनुदान में अनुमोदित फर्मों से क्रय न करने के कारण राशि ₹0.19 लाख का संभावित अधिक भुगतान बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर-9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, मनरेगा अनुदान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान अनुमोदित फर्मों से क्रय मूल्य एवं फर्में जिनसे क्रय किया गया उनकी दरों में अंतर होने के कारण संलग्न **परिशिष्ट "6"** के अनुसार राशि ₹19350 का सम्भावित अधिक भुगतान किया गया। इस बारे अधियाचना संख्या 07 दिनांक 30-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि, उक्त प्रकरण में अधिक भुगतान तत्कालीन सचिव द्वारा अनधिकृत फर्मों को किया गया इस बारे उन्हें शीघ्र ही सूचित करके अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी। अत: उक्त प्रकरण में किये गए भुगतान/क्रय को तथ्यों व वांछित अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करके खाते में जमा करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की विभागीय स्तर पर जाँच की जाये, अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.4 मनरेगा के निर्माण कार्यों में राशि ₹1.30 लाख के सम्भावित दुर्विनियोजन बारे:-

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान तकनीकी सहायक द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत करवाए गए निम्नविवरणानुसार कार्यों की माप पुस्तिका में कार्य हेतु जरुरी सामग्री (पत्थर) की कलेक्शन मेनुअल लेबर द्वारा करवाई गई थी जोकि माप पुस्तिका अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त भी हुए लेकिन आगे अवलोकन में पाया गया कि पत्थरों की ब्रेकिंग व ढुलान वेंडरों से दर्शा कर भी अलग से भुगतान किया गया था जबकि निर्माण कार्य में वांछित व प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति मेनुअल लेबर द्वारा ही कर दी गई थी इस प्रकार वेंडरों से अतिरिक्त सामग्री क्रय, ढुलान करवाना तथा माप पुस्तिका को नियम 101 (ग) के अनुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाना संदिग्ध प्रतीत होता है।

निर्माण कार्य	**माप पुस्तिका संख्या पृष्ठ**	**माप पुस्तिका अनुसार कार्य में कुल प्रयुक्त सामग्री (पत्थर)**	**लेबर व वेंडरों द्वारा कुल प्रदत सामग्री (पत्थर)**	**अतिरिक्त सामग्री क्रय व ढुलान जो कार्य में प्रयुक्त नहीं हुई (शेष)**
1.लैंड डेवलपमेंट वर्क डलनी	39620 पृष्ठ 50	111..82m3 (96.40x1.16)	111m3+30m3 =141m3	ब्रेकिंग 29.18@1000 ढुलान 29.18@1000
2. रुरल पाथ हनस्वानी से बाड़का	39620 पृष्ठ 50	98.60m3 (85m3x1.16)	98.6m3+36m3 =134.60m3	ब्रेकिंग 36m3@1000 ढुलान 36m3@1000
	कुल योग	**210m3**	**275.60m3**	**₹130360 (58360+72000)**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पत्र द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत स्तर पर छानबीन व सम्बन्धित कर्मचारियों से जबाब लेकर नियमानुसार कार्रवाई करके विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर एवं अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि उक्त कार्यों में प्रयुक्त सामग्री मेनुअल लेबर द्वारा ही की गई जोकि माप पुस्तिका में भी स्वत: स्पष्ट हो रहा है इस प्रकार वेंडरों से पत्थरों का क्रय व ढुलान किया गया व न तो उक्त कार्यों में प्रयुक्त हुए और न ही उसका कोई शेष स्टॉक में दर्शाया गया है जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वेंडरों से क्रय व ढुलान की गई राशि का दुर्विनियोजन किया गया है। अत: उक्त मामले में नियमानुसार ठोस तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर उक्त क्रय व भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये एवं जवाब को अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमानुसार उक्त राशि ₹130360 की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये तथा इस प्रकार के अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.5 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत राशि ₹11.25 लाख के सेबों के पौधों के क्रय से सम्बन्धित अभिलेखों का पंचायत में न पाये जाने बारे :-

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत राशि ₹1125000 के सेबों के पौधे क्रय किया गए थे परन्तु इनके क्रय स्वीकृति आदेश, मांग, वितरण सूची, माप पुस्तिका इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा जिस फर्म से इने क्रय किया गया उनके द्वारा प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल नहीं थे जिसके कि उक्त क्रय, बिलों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, क्रय सेब के पौधों से सम्बन्धित अभिलेख पंचायत में उपलब्ध नहीं है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: उक्त क्रय से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को शीघ्र ही प्राप्त करके अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.6 पंचायत प्रधान के एकल हस्ताक्षर द्वारा ही राशि ₹8.28 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही संलगन **परिशिष्ट "5"** के अनुसार राशि ₹828320/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा आंकड़ों व तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में सारे भुगतान प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त ही किया जायेंगे। अत: नियमों के विरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.7 पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे । स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमाविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.8 मनरेगा मटेरियल रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹2763260 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि मनरेगा के अंतर्गत क्रय स्टोर/स्टॉक के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमाविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.9 राशि ₹3.62 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** में वर्णित प्रावधानुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत बैरागढ़ के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹362271/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान करना।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।
4. मस्ट्रोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.15th FC	कार्य: साइड ड्रेन पधर	35869	11/30-11-2022	115535
2.15th FC	कार्य:रूरल पाथ मझोगा से GMS वैड़का	35759	04/01-08-2022	141806
3.15th FC	कार्य: साइड ड्रेन सेंठा-II	35768	03/30-10-2023	104930
			कुल योग	**₹362271**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 11-06-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व:-स्त्रोतों की रोकड़ बहियों का संधारण ऑनलाइन न करके मैन्युअल ही किया जा रहा है एवं मैन्युअल संधारित रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया गया था। इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत **परिशिष्ट 1 व 2** में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। पंचायत द्वारा न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों एवं मनरेगा रोकड़ बही को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाया गया। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक

वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़ बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़ बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़ बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत बैरागढ़ के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे 3rd/5th स्टेट का एक बैंक खाते एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं

10.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
11.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत बैरागढ़ की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वॉउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 10-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

05.8.24

05 AUG 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

3817 - 3821 510/00

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 157/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 AUG 2024

05.8.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

510/00

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Bairagarh for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (3rd/5th State FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	511407.12	381194.00	892601.12	320070.00	572531.12
2023-24	572531.12	273867.00	846398.12	491715.00	354683.12

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2405892.00	6977164.00	9383056.00	8222237.00	1160819.00
2023-24	1160819.00	6465989.00	7626808.00	6805972.00	820836.00

1175519.12

नोटः प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खंड तीसा में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत छः रोकड़ बहियाँ का संधारण किया जा रहा है ।

1+2 (354683.12+820836.00)

	C/B as per Cash Books	1175519.12
	C/B as per Bank Passbool	1061131.12
Difference	**(Less in Bank PassBook**	114388.00

Panchayat Secretary
G.P. Bairagarh
Dev. Block Tissa Distt Chamba

Income Statement of GP Bairagarh Development Block Tissa., Chamba (H.P.) For the Year 2022-2023

Month	Own Source	PMAGY	3RD STATE	14TH FC	BASP	LADA	MNREGA	VKVNY	SBM	VMJS	MMAY	15TH/FC	TOTAL
APRI	7715	0	67200	17684	0	239988	0	0	0	0	0	15319	347906
MAY	17	0		0	0	0	760137	0	0	0	0	0	760154
JUNE	0	0		0	200000	2476	268596	0	37	51386	434	91547	614476
JULY	760	250000	78600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329360
AUG	12597	0		0	150000	0	436568	116000	0	0	0	93344	808509
SEP	7565	0		10716	0	3513	537111	0	0	0	377	14990	574272
OCT	**30840**	0		0	0	0	6058	0	0	0	0	137320	174218
NOV	200	0	78600	0	729453	0	0	0	0	0	0	0	808253
DEC	0	0		0	0	2915	379904	0	0	0	329	140016	523164
JAN	50	0	52400	0	0	0	1086914	0	0	0	0	0	1139364
FEB	250	0	21000	0	0	0	58300	0	0	0	0	0	79550
MAR	0	0	23400	0	0	3308	938736	0	0	0	328	233360	1199132
TOTAL	59994	250000	321200	28400	1079453	252200	4472324	116000	37	51386	1468	725896	7358358

Expenditure Statement of GP Bairagarh Development Block Tissa., Chamba (H.P.) For the Year 2022-2023

Month	Own Sou	PMGAY	3RD STATE	14TH FC	BASP	LADA	MNREGA	VKVNY	SBM	VMJS	MMAY	15TH/FC	TOTAL
APRIL	6700	0	72500	0	0	246000	0	0	0	0	0	0	325200
MAY	0	0	0	0	0	0	760137	0	0	0	0	0	760137
JUNE	0	0	0	176136	124130	0	268596	0	0	0	0	19600	588462
JULY	12997	250000	0	195374	47000	0	0	0	0	51400	13000	122828	692599
AUG	0	0	94800	132260	182198	0	436568	127475	0	0	0	168866	1142167
SEP	0	0	0	0	34440	0	537111	63745	154343	0	0	38000	827639
OCT	0	0	0	0	0	0	6058	0	0	0	0	60575	66633
NOV	0	0	0	71750	321135	0	0	0	0	0	0	115535	508420
DEC	0	0	24000	340374	211863	0	379904	0	0	0	0	24600	980741
JAN	**2400**	**0**	**18600**	**0**	**87880**	**0**	**1086914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11550**	**1207344**
FEB	0	0	16000	78010	0	106	58300	0	0	0	0	279740	432156
MAR	27073	0	45000	0	0	0	938736	0	0	0	0	0	1010809
TOTAL	**49170**	**250000**	**270900**	**993904**	**1008646**	**246106**	**4472324**	**191220**	**154343**	**51400**	**13000**	**841294**	**8542307**
													1207344

Income Statement of GP Bairagarh Development Block Tissa Distt. Chamba (H.P.) for the year 2023-2024

Month	Own Source	PMAGY	3RD STATE	14TH FC	BASP	LADA	MNREGA	VKVNY	SBM	VMJS	MMAY	15TH/FC	TOTAL
APRI	6382	0	0	2473	0	0	0	0	0	0	0	12370	21225
MAY	0	0	0	0	0	0	101024	0	0	0	0	0	101024
JUNE	5133	0	90500	0	0	0	1909820	139720	0	0	337	0	2145510
JULY	96	0	0	0	0	0	302081	0	0	0	0	5607	307784
AUG	3300	0	117709	0	0	0	123599	0	0	0	0	0	244608
SEP	0	0	0	0	0	0	0	2401	0	0	340	0	2741
OCT	2459	0	0	0	199063	0	0	0	0	0	0	5521	207043
NOV	**25060**	0	0	0	0	0	422640	0	0	0	0	94195	541895
DEC	0	0	0	0	0	0	1595325	2759	0	0	338	4862	1603284
JAN	13134	0	0	0	0	0	443520	0	0	0	0	0	456654
FEB	10094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10094
MAR	0	481196	0	0	0	0	614400	2057	0	0	341	0	1097994
TOTAL	65658	481196	208209	2473	199063	0	5512409	146937	0	0	1356	122555	6739856

Expenditure Statement of GP Bairagarh Development Block Tissa Distt. Chamba (H.P.) for the year 2023-2024

Month	Own Source	PMGAY	3RDSTATE	14TH FC	BASP	LADA	MNREGA	VKVNY	SBM	VMJS	MMAY	15TH/FC	TOTAL
APRIL	31500	0	0	3438	0	0	0	0	0	0	0	0	34938
MAY	0	0	0	0	0	0	101024	0	0	0	0	0	101024
JUNE	**60347**	**0**	**126500**	**0**	**61670**	**0**	**1909820**	**145000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2303337**
JULY	0	0	0	0	0	0	302081	0	0	0	0	0	302081
AUG	0	0	0	0	0	0	123599	0	0	0	0	44280	167879
SEP	0	0	83584	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	128584
OCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177375	177375
NOV	0	0	34125	0	147150	0	422640	0	0	0	0	0	603915
DEC	37950	0	117709	0	0	0	1595325	0	0	0	0	71089	1822073
JAN	0	0	0	0	0	0	443520	0	0	0	0	79215	522735
FEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAR	0	481196	0	0	0	0	614400	0	0	0	0	38150	1133746
TOTAL	129797	481196	361918	3438	253820	0	5512409	145000	0	0	0	410109	7297687
													2303337

कार्यालय ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 01-04-2022 to 31-03-2024 को बैंक खातो में Opening व Closing Balance का विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 01-04-2022	राशि 31-03-2024
1.	15वां वित्तायोग	**17710113167**	HPSCB Bhanjraru	**1039403.00**	**502222.00**
2.	14वां वित्तायोग	17710110561	HPSCB Bhanjraru	**966469.00**	**00**
3.	MMAY	99241302402506	HPGB Bhanjraru	**60188.00**	**50012.00**
4.	SABHA NIDHI /3rd/5TH	17710103119	HPSCB Bhanjraru	**511407.12**	**217433.12**
5.	VKVNY/BASP/ VMJS/SBM/ LADA etc.	99241302401090	HPGB Bhanjraru	**339832.00**	**291464.00**
			Cash In hand	**0**	**0**
			TOTAL	**2917299.12**	**1061131.12**

प्रमाणित किया जाता है कि, ग्राम पंचायत बैरागढ़, में दिनाक 31-03-2024 उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 05 तक वर्णित बैंक खाते ही खोले गए हैं इसके अतिरिक्त कोई भी खाता पंचायत ने नहीं खुलवाया है।

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Bairagarh for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	4472324.00	4472324.00	4472324.00	0.00
		2023-24	0.00	5512409.00	5512409.00	5512409.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	1039403.00	725896.00	1765299.00	841294.00	924005.00
		2023-24	924005.00	122555.00	1046560.00	410109.00	636451.00
3	14TH FC	2022-23	966469.00	28400.00	994869.00	993904.00	965.00
		2023-24	965.00	2473.00	3438.00	3438.00	0.00
4	MMAY	2022-23	60188.00	1468.00	61656.00	13000.00	48656.00
		2023-24	48656.00	1356.00	50012.00	0.00	50012.00
5	PMAGY	2022-23	0.00	250000.00	250000.00	250000.00	0.00
		2023-24	0.00	481196.00	481196.00	481196.00	0.00
6	BASP/VKVNY/LADA/SBM/VMJS etc.	2022-23	339832.00	1499076.00	1838908.00	1651715.00	187193.00
		2023-24	187193.00	346000.00	533193.00	398820.00	134373.00

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा ,जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना (पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	01/ 21-04-22	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	6700	**Quotations**
2.BASP	41/ 18-11-22	Shuttring	-	M/S Gurbax Kour & Sons PO Bhanjraru	33000	**Quotations**
3.SF	61 & 62/ 27-03-24	Stationery	-	M/S Hem Raj ThakurBhanjararu, Chamba	17325	**Quotations**
4. PMAGY	01/ 07-10-22	Solar Street Lights	28@15625+ GST@12% 1875	M/S Meera Maa Enterprises Shahpur, Kangra	490000	**Tender**
				Total	**547025**	

ग्राम पंचायत बैराग्रह में पेश की गई 82, 83, 84 व 9.2 में रॉयल्टी

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BAIRAGARH D.B TISSA FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST Amount Paid	TDS @ 2%
Year 2022-23												
1	Sh. Narain Singh Maghoga Bairgarh, Tissa	15TH FC	01/15-06-2022	Stone Carrige	40	89.6	80	7168.00	19600.00	18666.67	933.33	392.00
2	Sh. Devi Chand S/o Gupala PO Bairagarh, Chamba	15TH FC	06/09-09-2022	Carriage of stone by mule	38	85.12	80	6809.60	38000.00	36190.48	1809.52	760.00
3	Sh. Devi Chand S/o Gupala PO Bairagarh, Chamba	15TH FC	15-17/16-02-2023	Stone Carrige	80	179.2	80	14336.00	80000.00	76190.48	3809.52	1600.00
4	Sh. Shafi Muhamand s/o Sh. Deen Muhamand PO	15TH FC	09 & 10	Sand Collection & Carrige	4.67	7.472	80	597.76	12375.00	11785.71	589.29	247.50
			10/19/2022	Carrriage & Collection of Aggregate	9.06	17.5764	80	1406.11	24075.00	22928.57	1146.43	481.50
Financial Year 2023-2024												
1	M/S Jatinder s/o Sh. Surinder Kumar VPO Devikothi Chamba	15th FC	05 & 06/ 30-10-2023	Aggregate	7.64	14.8216	80	1185.7	18900.0	18000.0	900.0	378
				Sand	5.09	8.144	80	651.5	12600.0	12000.0	600.0	252
2	Sh. Devi Chand S/o Gupala PO Bairagarh, Chamba	BASP/ VKVNY	26 & 27/ 17-08-2022	Stone Carrige	78	174.72	80	13977.6	78000.0	74285.7	3714.3	1560
3	M/S Jatinder s/o Sh. Surinder Kumar VPO Devikothi Chamba	VKVNY	04 & 05/ 12-06-2023	Sand	14.24	22.784	80	1822.7	35210.0	33533.3	1676.7	704.2
				Aggregate	10.7	20.758	80	1660.6	26460.0	25200.0	1260.0	529.2
4	Sh. Devi Chand S/o Gupala PO Bairagarh, Chamba	14TH FC	11 & 12/ 26-08-2022	Stone Carrige	75	168	80	13440.0	75000.0	71428.6	3571.4	1500
5	M/S Sunil Kumar PO	14TH FC	10/26-08-2022	Sand	17.84	28.544	80	2283.5	44100.0	42000.0	2100.0	882
6	M/S Jatinder s/o Sh. Surinder Kumar VPO	14TH FC	18 & 19/ 12/26/2022	Aggregate	29.73	57.6762	80	4614.1	73500.0	70000.0	3500.0	1470
7	M/S Bazir Mohd. Butt VPO Khushnagri	PMAGY	02 & 03/ 3/12/2024	Sand	5.67	9.072	80	725.8	16000.0	15238.1	761.9	320
				Aggregate	10.62	20.6028	80	1648.2	37500.0	35714.3	1785.7	750
8	Sh. Shafi Muhamand s/o	PMAGY	05-07/ 3/12/2024	Aggregate								
				Sand								
				Stone Carrige								
	Total			TOTAL			Total	16596.1	591320.0	563161.9	28158.1	11826.4

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. A. From Square Feet to Cubic Meter M3
   35.31 Sq.Ft = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.52
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre average weight are taken for conversion while cubic meter to tonne
5. As per quotation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared weither it is paid or not
6. Royalty Worked out only stone, Sand and agg ~~Carriage~~ So that Quantity shown. Collection only

4R 2162 "4" पेरा जोड़ा 8.2, 8.3, 8.4 व 9.1 में स.पत्रक

DETAIL OF VENDOR/SUPPLIER IN R/O GP BAIRAGARH FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "M" FORM

01/04/2022 TO 31/03/ 2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	PAID GST	TDS @2%
1	SH. CHAMAN KUMAR S/O LAL CHAND	MGREGA	9/3/2022	STONE CARRIAGE	55.00	123.20	27500.00	60		2619048	1309.52	550
2	SH. SHAFI MOHD. S/O DEEN MOHD.	MGREGA	7/3/2022	STONE CARRIAGE	55.00	123.20	27500.00	60		2619048	1309.52	550
3	SH. CHAMAN KUMAR S/O LAL CHAND	MGREGA	8/3/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	35000.00	60		3333333	1666.67	700
4	SH. CHAMAN KUMAR S/O LAL CHAND	MGREGA	6/3/2022	STONE CARRIAGE	56.00	125.44	28000.00	60		26666.67	1333.33	560
5	SH. SHAFI MOHD. S/O DEEN MOHD.	MGREGA	7/3/2022	STONE CARRIAGE	60.00	134.40	30000.00	60		28571.43	1428.57	600
6	SH. SHAFI MOHD. S/O DEEN MOHD.	MGREGA	5/3/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	35000.00	60		33333.33	1666.67	700
7	SH. SHAFI MOHD. S/O DEEN MOHD.	MGREGA	7/3/2022	STONE CARRIAGE	55.00	123.20	27500.00	60		26190.48	1309.52	550
8	SH. SABO S/O KANTHU	MGREGA	17/11/2022	STONE CARRIAGE	60.00	134.40	60000.00	60		57142.86	2857.14	1200
9	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	15/11/2022	STONE CARRIAGE	20.00	44.80	20000.00	60		19047.62	952.38	400
10	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	16/11/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	70000.00	60		66666.67	3333.33	1400
11	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	14/11/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	70000.00	60		66666.67	3333.33	1400
12	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	12/11/2022	STONE CARRIAGE	62.00	138.88	62000.00	60		59047.62	2952.38	1240
13	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	9/11/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	70000.00	60		66666.67	3333.33	1400
14	SH. SABO S/O KANTHU	MGREGA	4/11/2022	STONE CARRIAGE	30.00	67.20	30000.00	60		28571.43	1428.57	600
15	SH. SABO S/O KANTHU	MGREGA	8/11/2022	STONE CARRIAGE	40.00	89.60	40000.00	60		38095.24	1904.76	800
16	SH. DEVI CHAND S/O GUPALA	MGREGA	6/11/2022	STONE CARRIAGE	70.00	156.80	70000.00	60		66666.67	3333.33	1400
17	SH. DINESH KUMAR S/O PAN SINGH	MGREGA	5/3/2022	STONE COLLECTION	70.00	156.80	35000.00	60	9408.00	33333.33	1666.67	
18	SH. DINESH KUMAR S/O PAN SINGH	MGREGA	7/3/2022	STONE COLLECTION	55.00	123.20	27500.00	60	7392.00	26190.48	1309.52	
19	SH. NARAIN SINGH S/O LOCHU RAM	MGREGA	7/3/2022	STONE COLLECTION	60.00	134.40	20400.00	60	8064.00	19428.57	971.43	
20	SH. SABO S/O KANTHU	MGREGA	6/3/2022	STONE COLLECTION	56.00	125.44	28500.00	60	7526.40	27142.86	1357.14	
21	SH. PREM LAL S/O JAI SINGH	MGREGA	8/3/2022	STONE COLLECTION	70.00	156.80	31500.00	60	9408.00	30000.00	1500.00	
22	SH. NARAIN SINGH S/O LOCHU RAM	MGREGA	7/3/2022	STONE COLLECTION	55.00	123.20	26950.00	60	7392.00	25666.67	1283.33	
23	SONI KUMAR S/O SH. NIRMAL	MGNREGA	7/4/2022	SAND	6.80	10.87	16800.00	80	869.89	16000.00	800.00	
24	SH. SONI KUMAR S/O SH. NIRMAL	MGNREGA	8/4/2022	SAND	5.66	9.06	14000.00	80	724.48	13333.33	666.67	
25	SH. SONI KUMAR S/O SH. NIRMAL	MGNREGA	16/04/2022	AGGRIGATE	7.08	13.74	17500.00	80	1098.82	16666.67	833.33	
26	SH. SONI KUMAR S/O SH. NIRMAL	MGNREGA	18/04/2022	SAND	4.81	7.70	11900.00	80	615.68	11333.33	566.67	
						TOTAL	932550.00		52499.26	888142.86	44407.14	14050.00

If Supplier is not mining lease holder than 25% penality on Amount after April ,2022 has been added so rate 80/ton + 25% Penalty = 100 Including Penlaty taken

Remarks:

1. es are taken up to 2 Decimal

Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining

Conversion Factor

2 uare Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3)

3 Cubic Meter (M^3) to Tonne — Common to all items Sand, Stone & Aggregate

One Cubic Meter (M^3) Sand	1.60
One Cubic Meter (M^3) Aggregate Mix	1.94
One Cubic Meter (M^3) Aggregate	1.46
One Cubic Meter (M^3) Stone	2.24

4 weight are taken for conversion while cubic meter to tonne.

5) inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

Panchayat Secretary
G.P Bairagarh
Dev Block Tisso Distt Chamba

परिशिष्ट– "3" पैरा सं० 9.6 के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बैरागढ़, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या ~~9.2~~ 9.6 में संदर्भित)

Sr.No.Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.SF	01/ 21-04-22	Stationery	-	M/S Hem Raj Thakur Bhanjararu,Chamba	6700	**Joint Sign**
2.BASP	28 & 29/ 26-08-22	Bricks	8000@12	M/S Ashok Kumar PO Kohal , Chamba	96000	**Joint Sign**
3.BASP	30/ 26-08-22	Door & Window	593kg	M/S Farooq Welding & Electrical Works	58195	**Joint Sign**
4.BASP	37-39/ 18-11-22	TMT Sariya	1350kg@82 10MM 200KG@83 8 MM	M/S Gurbax Kaur & Son's VPO Bhanjraru	127100	**Joint Sign**
5.BASP	41/ 18-11-22	Shuttring	-	M/S Gurbax Kour & Sons PO Bhanjraru	33000	**Joint Sign**
6.SF	61 & 62/ 27-03-24	Stationery	-	M/S Hem Raj ThakurBhanjararu, Chamba	17325	**Joint Sign**
7. PMAGY	01/ 07-10-22	Solar Street Lights	28@15625+ GST@12% 1875	M/S Meera Maa Enterprises Shahpur, Kangra	490000	**Joint Sign**
				Total	**828320**	

-85-

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

Statement Showing Detail of Over payment (in R/O GP Bairagarh DB Tissa) To Vender/Supplier

01-04-2022 TO 31-03-2024

Sr.No.	Detail of Supplier/Vender	Head/Grant	Bill No./Date	Material & Rate Paid	Rate Approved as Qutataion for FY2022-23	Over Payment (70-15 =15/Feet)
1	M/S Soni Kumar Vill. Dhyas PO Trella Churah	MGREGA	9/450/ 08-04-2022	Sand 200ft@70 = 14000	Sand 200ft@55	Sand 200ft@15 = 3000
			452/10 /16-04-2022	Aggregate 250ft@70 =17500	Agg.200ft @55	Agg.250ft@15 =3750
2	M/S Soni Kumar Vill. Dhyas PO Trella Churah	MGREGA	03/453/ 07-04-2022	Sand 240ft@70 =16800	Sand 240ft@55	Sand 240ft@15 = 3600
			04/455/ 13-04-2022	Aggregate 480ft@70 =33600	Agg.480ft @55	Agg.480ft@15 = 7200
			605/21/ 11-04-2022	Sand 120ft@70= 8400	Sand120ft@55	Sand120ft@15 =1800
			TOTAL			Rs19350

Panchayat Secretary
G.P Bairagarh
Dev Block Tissa Distt Chamba

परिशिष्ट "ज" की रे/2021 रु. 4 के रा.दो.रि.

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o GP Bairagarh DB Tissa							
SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	01 to 03/ 12-06-2023	VKVNY	M/S Bazir Mohd Batt VPO Khushnagri Chamba	JCB Works 92 Hour@1500	138000.00	2760	IT Act Section 194C
2	41/18-11-2022	BASP	M/S Gurbax Kour & Son's PO Bhnajraru	Shuttring on rent	33000.00	660	Do
3	01/07-10-2022	PMAGY	M/S Meera Maa Enterprises Shahpur Kangra	Solar Street Light 28@15625 12%GST 52500	490000.00	9800	GST act 2017 Section 51A
				TOTAL	661000.00	13220.00	